संख्या-12/2026/001-285-58-1-2026-54-2099-4-2026

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-26 में अनुदान संख्या 83 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना (केन्द्राश-50%/राज्यांश-50%-के०) के मानक मद 42-अन्य व्यय में पुनर्विनियोंग के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-1382/बा0वि0परि0/लेखा/2025-26, दिनांक 05 जनवरी, 2026 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-26 में अनुदान संख्या 83 के लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0101-पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार योजना (केन्द्राश-50%/राज्यांश-50%-के०) के मानक मद 42-अन्य व्यय में कुल रु0 8258.04 लाख (रुपये बयासी करोड़ अटठावन लाख चार हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग के माध्यम से कराने की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

1- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा । स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा ।

2- स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है । उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे ।

4- जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी ।

5- धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत किया जायेगा ।

6- प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है ।

7- वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है । बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा ।

8- उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है । अतः बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

9- प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है ।

10- योजना के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार कराये गये कार्यों की गुणवत्ता की पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरान्त भलीभांति सत्यापित बिलों के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि की सीमा में नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जाय।

11- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद में धनराशि संक्रमित की जा रही है, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

12- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27 मार्च,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

13- स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किये जाने पर किया जायेगा।

14- स्वीकृत धनराशि के व्यय की फेजिंग कर ली जाय और अनुसूचित जाति के लाभार्थियों पर ही एस0सी0एस0पी0 की गाइडलाइन्स के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाए।

15- नवीन कार्यों हेतु धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कराने के पूर्व योजना की गाइडलाइन्स के अनुसार निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 82,58,04,000 (रुपये बयासी करोड़ अट्ठावन लाख चार हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 083 **लेखा शीर्षक** 2235027890101 पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित बालविकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार(के.50/रा.50-के.) **मानक मद** 42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा तत्सम्बंधी बी0एम0-9 (भाग-1) प्रपत्र पर आवंटित संख्या - आर.ई.संख्या–बजट-1-248 दिनाँक 20.01.2026 के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-12/2026/001-285(1)-58-1-2026-54-2099-4-2026, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. वित्त (आय-व्ययक)-1/वित्त(लेखा) अनुभाग-1 ।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।